फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री घनश्याम जोशी निवासी जोशियों की मादडी, बागोल, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 17/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक :— भू.अ./सू.अ./2025/341 दिनांक 25.03.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आवंटन अधिकारी/कार्यालय का नाम एवं पत्रावली संख्या व वर्ष की जानकारी उपलब्ध नही होने से आक्षेपित सूचना उपलब्ध नही कराई गई। जिस संबंध में प्रार्थी को सूचना दे दी गई हैं। उक्त क्रम में प्रार्थी श्री घनश्याम जोशी ने दिनांक 24.03.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा दिनांक 15/05/1976 को भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन की गई भूमि की जानकारी चाही गई। तथा उक्त आवंटन तहसील नाथद्वारा द्वारा 15/5/1976 को किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस क्रम में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये पृष्ठांकित पत्र क्रमांक :— सू.अ.अ./2025/465 दिनांक 28.04.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा लक्ष्मीनारायण पिता नंदलाल जोशी के नाम ग्राम ओडन वर्ष 1976 में आवंटन हुई पत्रावली चाही गई थी, कार्यालय के कामिको एवं प्रार्थी स्वयं के समक्ष रिकॉर्ड रूम में फाईल को काफी ढुंढा गया लेकिन रिकॉर्ड काफी पुराना होने से एवं जीर्ण–शीर्ण होने से उक्त पत्रावली रिकॉर्ड रूम में फिलहाल नही मिल पाई है। रिकॉर्ड क्रम में रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने हेतु टीम गठित कि गई है। जैसे ही पत्रावली मिल जाएगी प्रार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।	

न्यायालय जिला कलक्टर

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय के कार्मिको एवं प्रार्थी स्वयं के समक्ष रिकॉर्ड रूम में फाईल को काफी ढुंढा गया लेकिन रिकॉर्ड काफी पुराना होने से एवं जीर्ण–शीर्ण होने से उक्त पत्रावली रिकॉर्ड रूम में फिलहाल नही मिल पाई है। जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना गठित टीम द्वारा ढुंढवाई जाकर रिकॉर्ड में उपलब्ध होने पर अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाकर रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावे। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वार को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)